पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 222/2024 दिनांक- 16.07.2024

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

साइबर फ्राड के 29,000/- रू कराये गये वापस।

पूर्व की घटना/इतिहास–

आवेदक रामसागर दिक्षित पुत्र ओम प्रकाश दिक्षित निवासी जियापुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ से साईबर फ्राड कर आवेदक से दिनांक 29.03.2024 को गूगलपे के माध्यम से मो0न0 7309162345 पर 29000/- रूपये मंगा लिया गया। तत्तपश्चात आवेदक रामसागर दिक्षित उपरोक्त द्वारा साईबर हेल्पलाईन नं0 1930 पर काल कर कम्पलैन दर्ज कराया गया कम्पलैन दर्ज करते समय थाना जीयनपुर सलेक्ट हो जाने के कारण कम्पलैन थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ प्राप्त हुआ जिसमें कुल 14000/- रूपया होल्ड हो गया था। शिकायत की जाँच क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया।

बरामदगी का विवरण– क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा आवेदक रामसागर दिक्षित पुत्र ओम प्रकाश दिक्षित निवासी जियापुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 29.03.2024 को गूगलपे एप्प के माध्यम से फ्राड हुए कुल 29000/- रूपया में से दिनांक 30.03.2024 को 3000/- व 09.05.2024 को 3000 हजार रूपया कुल 6000 हजार रूपया पूर्व में बरामद कराया गया था आज दिनांक 16.07.2024 को शेष 23000/- रूपया वापस कराया गया। इस प्रकार आवेदक के खाते में कुल 29,000/- रूपये वापस करा दिया गया है।

बरामद करने वाली टीम -

1.विवेक कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष जीयनपुर आजमगढ़

2. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2.क0आ0 शहादत अंसारी थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना- कोतवाली

चोरी के रूपये के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

वादी अंशुमान सिंह s/o हरिओम सिंह ग्रा0 सुलेमपुर पो0 हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक- 25.06.2024 को ग्रा0 लक्षिरामपुर स्थित मेरे कार्यालय मे ताला तोडकर आंफिस के सामान LED TV, INVETER, BATTERY, एवं 30,000 रूपया (तीस हजार रुपया) नगद कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चुरा लिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक- 26.6.24 को मु0अ0सं0 382/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 15.7.24 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, उ0नि0 प्रदीप वाजपेयी, मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.मोहित पुत्र स्व0 संतोष निवासी उत्तरीपुरा थाना बिल्हौर जनपद कानपुर उम्र 23 वर्ष, 2. सर्वेश पुत्र गंगा सिंह नि. पल्हानपुर थाना सिधपुरा जिला कासगंज उम्र 48 वर्ष, 3. जयवीर बहेलिया पुत्र दयाराम निवासी देवगंज थाना बिछया जनपद मैनपुरी उम्र 32 वर्ष को बाग लखरांव पुलिया से समय 21.15 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से 4000 रूपये बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.मोहित पुत्र स्व0 संतोष निवासी उत्तरीपुरा थाना बिल्हौर जनपद कानपुर उम्र 23 वर्ष,

2. सर्वेश उर्फ गुड्डू पुत्र गंगा सिंह नि. पल्हानपुर थाना सिधपुरा जिला कासगंज उम्र 48 वर्ष,

3. जयवीर बहेलिया पुत्र दयाराम निवासी देवगंज थाना बिछया जनपद मैनपुरी उम्र 32 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- 4000 रूपये बरामद।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 382/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	189/19	392 भादवि	निधौली कलन	एटा
2	192019	147/148/149/307 भादवि	निधौली कलन	एटा
3	382/24	457/380/411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, उ0नि0 प्रदीप वाजपेयी, कां0 अरूण यादव, कां0 सौरभ यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- फूलपुर

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 10-07-24 को वादी मुकदमा अम्बारी थाना व तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ को लिखित सूचना दिया कि दिनाँक- 09/07/2024 को सुबह 7.30 बजे घर से मेरी पुत्री उम्र 17 वर्ष जो विद्यालय अम्बारी आजमगढ़ के लिये गयी और विद्यालय बन्द होने के उपरान्त भी घर नही पहुची तो काफी नात- रिस्तेदार के यहा भी मैने काफी खोज बीन किया पता न चलने पर मेरी लडकी 7880XXXXX मोबाइल न. से प्रतिदिन बात करती थी काल रात 9 बजे उसका नं0 बन्द है। मुझे पुरा विश्वास है कि 7880XXXX नं0 धारक द्वारा मेरी लडकी को बहला फूसलाकर भगाया गया है के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-377/24 धारा 137(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 87/64 व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 7880XXXXX नं0 धारक नाम पता अज्ञात पंजीकृत है।

जिसकी विवेचना उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा की जारही है दौरान विवेचना बरामदगी के बाद धारा 87/64 व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त तालिब कुरैशी पुत्र गुड्डू उर्फ जरार निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 16-07-2024 को उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह के वांछित अभि0 तालिब कुरैशी पुत्र गुड्डू उर्फ जरार निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को बहाउद्दीनपुर जाने वाले खड़जा मोड़ पर से धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 09-08 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. तालिब कुरैशी पुत्र गुड्डू उर्फ जरार निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-377/24 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. तालिब कुरैशी पुत्र गुड्डू उर्फ जरार निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	377/24	137(2)/87/64 बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना – रौनापार

खाते से फ्राड हुए कुल 25,000/- रूपया वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः- दिनांक 22.05.2024 को आवेदक श्री संजय पटेल पुत्र हरिश्चन्द्र पटेल निवासी ग्राम परसिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय के साईबर पोर्टल पर आवेदन संख्या 23105240056971 के माध्यम से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि आवेदक उपरोक्त के खाते से 25,000/- रूपया खाता संख्या 45940212000#### मे चला गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय के साईबर टीम द्वारा उक्त खाता संख्या के सम्बन्ध मे जानकारी किया गया तो उक्त खाता संख्या यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा महुला जनपद आजमगढ़ का होना पाया गया। यूनियन बैंक आफ इण्डिया महुला के शाखा प्रबन्धक से मिलकर खाता धारक के बारें में जानकारी कर खाता धारक व परिवारिजनों को सम्बन्धित बैंक ले जाकर आज दिनांक 15.07.24 को विधिक कार्यवाही कराते हुए आवेदक का पैसा उनके खाता में वापस कराया गया।

➡ दिनांक 15.07.24 को थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की साईबर टीम द्वारा व शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा महुला जनपद आजमगढ़ की मदद से आवेदक उपरोक्त के खाते में कुल 25,000/- रूपया वापस कराया गया है।

पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. का0मु0 रत्नेश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 पूजा कुशवाहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.07.2024 को उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह को सूचना मिली कि दो व्यक्ति स्कूटी से नाजायज गांजा लेकर बेचने के लिए जनपद अम्बेडकर नगर से लेकर अतरौलिया की तरफ आ रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस महादेवपुर अण्डरपास पहुँचकर अभियुक्तगण 1.मुकेश सिंह पुत्र रामदुलार नि0 ग्राम गजेन्धरपट्टी भदेवरा थाना अतरौलिया आजमगढ 2. सुनील सोनी पुत्र राजमंगल नि0 ग्राम बुकिया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर को मय 02 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा के समय करीब 05.30 बजे उसके कृत्यो का बोध कराते हुये नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया | गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 262/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1..मुकेश सिंह पुत्र रामदुलार नि0 ग्राम गजेन्धरपट्टी भदेवरा थाना अतरौलिया आजमगढ उम्र 35 वर्ष

2. सुनील सोनी पुत्र राजमंगल नि0 ग्राम बुकिया थाना बसखारी जनपद आम्बेडकरनगर उम्र 45 वर्ष

बरामदगी – 02 किलो 100 ग्रा0 गांजा नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 जफर अयूब मय उ0नि0 मयंक नरायण सिंह मय हमराह हे0का0 संतकुमार ,का0 दीपक कुमार,का0 मुकेश गुप्ता व का0 धन्नू यादव थाना अतरौलिया आजमगढ़।

थाना- बरदह

पेट्रोल छिड़क कर नाबालिक लड़के को जलाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 14.07.2024 को वादिनी मुकदमा थाना बरदह जनपद आजगमढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि विगत 20 दिन पहले मेरे देवर से मेरी कुछ कहासुनी हो गयी थी उसी रंजिशवश दिनांक 10.07.2024 को रात 08.00 बजे मेरे देवर सिकन्दर मुझे गाली-गुप्ता देने लगे, मना करने पर सिकन्दर अपनी बाईक से पेट्रोल निकालकर मेरे 10 वर्षीय बेटे विजय के ऊपर छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दिया, जिससे विजय गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/2024 धारा 352,351(2),118(2) भा0 न्याय संहिता बनाम सिकन्दर पुत्र प्रभुनाथ निवासीग्राम खम्हौली थाना बरदह जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 16.07.2024 को समय 09.30 बजे उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त सिकन्दर पुत्र प्रभुनाथ निवासीग्राम खम्हौली थाना बरदह जनपद आजमगढ को सरायमोहन तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- सिकन्दर पुत्र प्रभुनाथ निवासीग्राम खम्हौली थाना बरदह जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 235/2024 धारा 352,351(2),118(2) भा0 न्याय संहिता

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 बडकू लाल थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
3. का0 संदीप यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना तरवां

चोरी के जेवरात व नकदी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 01.07.2024 वादी मुकदमा कन्हैया यादव पुत्र स्व0 सुखनन्दन यादव ग्राम असधीरपुर थाना तरवा आजमगढ की रात्री करीब 01.00 बजे अज्ञात चोरो द्वारा बक्सा चुरा ले गये जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0-209/2024 धारा 305 ए बीएनएस अज्ञात चोरो के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 शिवम द्विवेदी द्वारा सम्पादित की जा रही है तथा वादिनी मुकदमा सुनीता देवी पत्नी किशनदेव विश्वकर्मा ग्राम- पट्टी भिखारी थाना तरवाँ जिला आजमगढ के घर से दिनांक 08-07-024 को रात में किसी अज्ञात चोरो ने मकान के पिछे से दिवाल तोड़ कर घर के अन्दर घुस कर 4 चाँदी कि पायल व चार चाँदी कि बिछिया व एक सोने कि अंगुठी, एक सोने की लाकिट व एक सोने की नथूनी व एक चांदी का बैसलेट तथा 6000 छः हजार रूपये नगद चुरा ले गये जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 213/24 धारा 331,4 व 305 ए बीएनएस पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह द्वारा सम्पादि की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दि0 15/07/2024 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह को सूचना मिली की ग्राम बहोरिकपुर में जल मिशन योजना के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास लेबरो का कंटेनर खड़ा है जो दिनांक-01.07.2024 को ग्राम बहोरिकपुर में व दि0 8/7/24 की रात्रि ग्राम पट्टी भिखारी में जो चोरी हुई है चोरी का जेवरात व रुपया अपने बैगो में छिपाकर रखे है कही ले जाने की फिराक मे है यदि

जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते है कि मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम बहोरिकपुर में पानी की टंकी के पास दो व्यक्ति नाम अरविन्द चौहान उर्फ सिद्धधू पुत्र रामसेवक चौहान उम्र 20 वर्ष नि0ग्राम पचासाथाना ईशानगर जनपद खीरी 2. सुशील पुत्र रामसेवक चौहान उम्र 15 वर्ष नि0ग्राम पचासा थाना ईशानगर जनपद खीरी को समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है जिनके पास से मु0अ0सं0-209/2024 धारा-305ए,317(2),317(4)बीएनएस में 1 अदद मनटीका पिली धातु 1 अदद नथिया पीली धातु , 1 जोड़ी झुमका पीली धातु , करधनी एक अदद सफेद धातु , मीना एक जोड़ी सफेद धातु , एक जोड़ी तोड़िया सफेद धातु , एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु व एक अदद स्क्रीन टच मोबाईल ओप्पो व मु0अ0सं0-213/2024 धारा 331(4) व 305 ए ,317(2)317(4) बीएनएस में एक जोड़ी पायल सफेद धातु व 2000/रु0 नगद बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-209/2024 धारा-305ए,317(2),317(4)बीएनएस
2. मु0अ0सं0-213/2024 धारा 331(4) व 305 ए ,317(2)317(4) बीएनएस थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1.अरविन्द चौहान उर्फ सिद्धधू पुत्र रामसेवक चौहान उम्र 20 वर्ष नि0ग्राम पचासाथाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी

2.बालअपचारी है ।

बरामदगी –

1 अदद मनटीका पिली धातु 1 अदद नथिया पीली धातु , 1 जोड़ी झुमका पीली धातु , करधनी एक अदद सफेद धातु , मीना एक जोड़ी सफेद धातु , एक जोड़ी तोड़िया सफेद धातु , एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु व
एक अदद स्क्रीन टच मोबाईल ओप्पो व जोड़ी पायल सफेद धातु व 2000/रु0 नगद बरामद हुआ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2.उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3 का0 विपिन कुमार यादव, थाना तरवां जनपद आजमगढ़
4.का0 हर्षित यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़